



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी
निगरानी-3561/2018/मु०रैना/भू०श.

श्री बदन सिंह श्रीवास्तव को
द्वारा आज दि. 8-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक वर्क हेतु
दिनांक 20-6-18 नियत।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. बच्चू सिंह पुत्र सामलिया, आयु-
लगभग 50 वर्ष,
2. चिरोंजी पुत्री सामलिया, आयु-
लगभग 65 वर्ष, जाति-कोली,
निवासीगण- गढी धमकन, वर्तमान
हाल, वार्ड क्रमांक 16 संजय नगर,
नरुआ के पास जौरा जिला मुरैना
म0प्र0.....आवेदकगण

बनाम

बदन सिंह पुत्र श्री सामलिया, आयु
55 वर्ष, जाति कोली, निवासी- गढी
धमकन, तहसील जौरा जिला मुरैना
म0प्र0अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना द्वारा

पारित प्रकरण क्रमांक 33/17-18 अपील में आदेश दिनांक 31.

05.2018

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

2018 June - 13

1.

यहकि, निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित भूमि सर्वे नं. 429 रकवा


506

a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3561/2018/मुरैना/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 05-12-18 | <p>प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य</p> | |